

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)  
कमांक/रीडर/2025/ 3457-58

दिनांक 19.09.2025

सुनवानी प्रकरण:- प्रमोद यादव बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

मुकदमा संख्या- 118/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 24 जून 2025 से 09 जुलाई 2025 तक "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वोदय सम्बल पखवाड़ा" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कार्यों में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2601/भूअ./2025 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम खुरमपुरा पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 25, 32, 315, 316, 457 में खातेदार पप्पू पुत्र भागीरथ जाति अहीर के स्थान पर पप्पू उर्फ प्रमोद कुमार यादव पुत्र भागीरथ प्रसाद जाति अहीर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में सम्बन्धित पटवारी से दुरुस्ती करवाकर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को निजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 19.09.2025

कमांक/रीडर/2025/ 3457-58

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को पालनार्थ एवं सूचनार्थ।

( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

